

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएस

प्रकरण सं० : 110/16

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

- सायल

बनाम

1. किताबो देवी पत्नि बनवारीलाल जाति जाट निवासी डाबडी।
2. प्रकरणक एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा डाबडी।

- गैरसायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : परोकार राज नायब तहसीलदार भादरा : सायल

निर्णय

दिनांक : 14.2.18

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम रतनपुरा के खसरा सं० 171 की कुल 1.2650 है० भूमि वर्तमान में किताबोदेवी पत्नि बनवारीलाल जाति जाट साकिन डाबडी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त कृषि भूमि को बिना रूपान्तरण करवाये अकृषि प्रयोजनार्थ ईन्ट भट्टा लगाकर उपयोग में लाया जा रहा है। इस प्रकार कृषि जोत के स्वरूप का परिवर्तन कर दिया गया है।

खसरा सं० 171 की कुल 1.2650 है० खातेदारी भूमि में खातेदार द्वारा कृषि के लिए दर्ज गयी जोत की शर्तों का उल्लंघन करके ईन्ट भट्टा लगाकर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कर दिया गया है, जो काबिले सिवायचक रकबा राज घोषित किया जाना चाहिए।

खातेदार द्वारा विधि विरुद्ध मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है और कृषि भूमि को अकृषि कार्य में बिना सरकार की स्वीकृति लिये उक्त कार्यवाही कर रहा है। उक्त कृषि भूमि काश्त के काम में नहीं ली जा रही है व मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है। भूमि पर काबिज व्यक्ति द्वारा ईन्ट भट्टा लगाया जाकर कृषि के स्वरूप को नष्ट किया जा रहा है। अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद पत्र के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तैयार किया गया। अप्रार्थीगण की तामील हो चुकी है। अप्रार्थीया सं० 1 को बार बार आज लगाई गई बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने के कारण उसके

130


विरुद्ध एम पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं० 2 का जबाब बन्द किया गया। अप्रार्थी सं० 2 की ओर से वकील श्री संदीप गोदारा उपस्थित आये।

बहस पेरोकार राज एक पक्षीय सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद भूमि को अप्रार्थी ईट भट्टा लगाकर अकृषि कार्य के उपयोग में ले रहे है जिससे राज्य सरकार को अपूर्णिय राजस्व हानि उठानी पड़ रही है।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थिया सं० 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आयी इस कारण उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अप्रार्थिया द्वारा वैध रूप से कृषि भूमि का स्वरूप बदला जाकर खुर्द बुर्द की जा रही है। अप्रार्थी द्वारा वादभूमि में निरन्तर अकृषि कार्य करने से भूमि का स्वरूप व प्रयोजन में बदलाव हो जाएगा, जिससे अपूरणीय क्षति की सम्भावना है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है तथा सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी व पक्ष में साबित होते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है व विधि के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही की स्वतन्त्रता प्रदान करते हुए अप्रार्थिया को ताफैसला वाद इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह मूल वाद के निर्णय तक ग्राम रतनपुरा के खसरा सं० 171 की कुल 1.2650 है० भूमि को रहन बैय व दिगर तरीके से मुन्तकिल नहीं करें। रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाई रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.2.16 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनया गया।



(राजकुमार कस्वा)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़